न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक)डीग

मु0नम्बर:– 194/2015(सी सी एम एस 2015/00004) पीठासीन अधिकारी– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

सरूपदेई पत्नी बाबूलाल पुत्री मनफूल जाति मीणा निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील व जिला डीग(राज0)

बनाम

1. रामबाबू पुत्र खिल्लू जाति मीणा निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील व जिला डीग(राज0)

–असल प्रति0

2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डीग जरिये शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,डीग

–फोरमल प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक:

वादिया द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 268/0.23 वाके ग्राम श्योपुरा पटवार हल्का बरई तहसील डीग तथा आराजी खसरा नम्बर 610/0.18 वाके ग्राम शाहपुर पटवार हल्का बरई तहसील डीग में स्थित है। प्रति0 रामबाबू वादिया के खास ताऊ बसन्ता का नाती है और इस प्रकार वादिया व प्रति0 संख्या 01 एक ही परिवार के सदस्य है। वादिया शादी के पश्चात से ही अपने पिता मनफूल के पास आकर आबाद हो गई और मनफूल की समस्त जायदाद पर वाहैसियत वारिस काबिज हुई। वादिया की अन्य बहनें शादी के पश्चात अपनी अपनी ससुरालों में निवास कर रही है और उनका मनफूल पिता वादिया की जायदाद से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार नहीं रहा है और ना ही है। वादिया के पिता मनफूल के एक भाई बन्नी लावल्द बिला औरत फौत हुए थे और जिस समय बन्नी की मृत्यु हुई उससे पूर्व ही प्रति0 रामबाबू के बाबा बसन्ता की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम बन्नी की समस्त कृषि भूमि पर वादिया के पिता मनफूल ही वारिस काबिज हुए। उक्त वर्णित विवादित आराजी हमे ॥ वादिया के पिता मनफूल के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है और मनफूल जीवन पर्यन्त विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे और मनफूल की मृत्यु के पश्चात से वादिया विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है और विवादित आराजी से प्रति0 रामबाबू का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। परन्तु गलत तरीके से प्रति0 रामबाबू का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जा रहा है जिससे वादिया के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। वादिया विवादित

...अधिकारी
डीग (...)

आराजी पर वर्तमान में प्रति0 रामबाबू के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में चले आ रहे अंकन को कलमजन कराकर अपना नाम वाहैसियत खातेदार का तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 268/0.23 वाके ग्राम श्योपुरा पटवार हल्का बरई तहसील डीग तथा आराजी खसरा नम्बर 610/0.18 वाके ग्राम शाहपुर पटवार हल्का बरई तहसील डीग में स्थित पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार घोशित किया जावे व गलत रूप से प्रति0 संख्या 01 के नाम दर्ज अंकन को कलमजन किया जाकर प्रति0 संख्या 01 विवादित आराजी से वादिया को जबरन बेदखल कर कब्ज नाजायज ना करें व उसे रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु स्थाई निशेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 की ओर से दिनांक 16.02.2016 को अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होंने जबाव पेश करने हेतु समय चाहा। दिनांक 06.12.2016 को प्रति0 संख्या 01 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया कि बन्नी की मृत्यु के पश्चात समस्त कृशि भूमि पर वादिया के पिता मनफूल कभी काबिज नहीं हुए क्योंकि बन्नी ने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी खसरा नम्बर 268/0.23 व 610/0.19 व अन्य सम्पूर्ण हिस्सा आराजी का बयनामा विधिवत रूप से अपनी जायज जरूरत के सवव प्रतिफल प्राप्त करते हुए प्रति0 के पिता खिल्लू पुत्र बसन्ता जाति मीणा निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील डीग को दिनांक 04.01.1972 को पंजीबद्व कराकर दखल व कब्जा प्रति0 के पिता खिल्लू संभाल दिया और बाद बयनामा से प्रति0 के पिता खिल्लू अपने जीवनकाल में काबिज हुए और उनकी मृत्यु के पश्चात से प्रति0 काबिज चला आ रहा है। अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादिया खारिज फरमाया जावे।

दावा व जबाव दावा की प्लाडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादिया विवादित आराजी पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. आया वादिया विवादित आराजी बावत प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है?
3. आया वादिया का दावा आ.ख.नम्बर 268/0.23 बावत है ना कि ख0नम्बर 464 श्योपुरा , 566/0.55 व 610/0.19 के शाहपुर बावत है।
4. आया वादिया का दावा धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों से बाधित है?
5. दादरसी?

तनकीयात कायम के पश्चात साक्ष्य वादिया में दिनांक 24.10.2017 को वादिया सरनदेई एवं साहव सिंह,पीतम के शपथ पत्र पेश किये गये। दिनांक 16.01.2018 को वादिया सरनदेई के बयान/जिरह तथा दिनांक 07.02.2018 को गवाह पीतम के शपथ पत्र पर जिरह एवं बलवीर सिंह के शपथ पत्र पर बयान पंजीवद्व कराये जाकर साक्ष्यवादी पूर्ण हुई। प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आये।

खण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 20.01.2023 को प्रति0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने व साक्ष्य प्रति0 पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रति0 बंद की गई। प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 23.10.2024 को इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दावे को वास्ते बहस हेतु नियत किया गया।

वादिया के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादिया ने बहस के दौरान दावे में वर्णित तथ्यों को ही बहस रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

दावे के समर्थन में वादिया के द्वारा राजस्व रिकार्ड पेश किया गया। सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड, जबाव, बयान का अवलोकन व वकील वादिया की बहस पर मनन किया गया।

वकील वादिया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादिया ने बहस में कथन किया कि वादिनी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 आर.टी.एक्ट का खसरा नम्बर 268 रकबा 0.23 खसरा नम्बर 610/0.18 का दायर किया है। वादिया के सजरा के अनुसार वादिनी मनफूल की पुत्री है। प्रति0 बसन्ता का नाती है। हम एक परिवार के सदस्य है। मनफूल के कोई लडका नहीं था। केवल 3 लडकियां ही थी। सरनदेई वादिया फूलवती व सरवती तीन बहनों की शादी हो गई। शादी से पहले ही व शादी के वाद भी वादिया सरनदेई अपने पिता मनफूल के पास रहने लगी एवं सेवा करती थी। मनफूल की सब जायदाद पर उसका ही कब्जा था। मनफूल का एक भाई पन्नी जो लावल्द पिला औरत फॉत हो गई और उससे पहले ही प्रति0 बाबा बसन्ता की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बन्नी की समस्त भूमि पर वादिया के पिता मनफूल काबिज रहे। मनफूल के वाद वादिया सरनदेई काबिज काश्त है। हमने PW-1 सरनदेई PW-2 बलवीर PW-3 प्रीतम के बयान करवाये गये जिन्होंने सरदेई का कब्जा होना माना है। आज भी मौके पर सरनदेई ही काश्त करती चली आ रही है। प्रति0 रामबाबू का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। राजस्व रिकार्ड में रामबाबू ने गलत तौर पर खातेदारी दर्ज करवाई है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं था। बर्ष 1969 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में गलत तरीके से दावा पेश करके एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर दावा डिक्री करा लिया जो दावा किया है,मनफूल के नाम जो खातेदारी हुई थी उसकी नकल पेश की है। पन्नी से सरनदेई को आई थी उसकी भी नकल पेश की है। आज भी मौके पर हमारा ही कब्जा है।

हमने वादिया के वादपत्र,प्रति0 के जबाव दावे,जबात उल जबाव वादी PW-1 सरनदेई, PW-2 प्रीतम, PW-3 बलवीरसिंह,न्यायालय सहायक कलक्टर,प्रकरण संख्या 157/96 निर्णय दिनांक 11.03.2002 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति डिक्री प्रकरण संख्या 157/96 प्रदर्श–2, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.01.1972 पन्नी वल्द छाजू कॉम मैना बहक खिल्लू वल्द बसंता के पक्ष में प्रदर्श–3,जमाबन्दी सम्बत 2069–2072 खसरा नम्बर 268 वाके ग्राम श्यॉपुरा प्रदर्श–4,जमाबन्दी सम्बत 2068–2071, खसरा नम्बर 610 वाके ग्राम शाहपुर प्रदर्श–5 का अवलोकन एवं वकील वादिया की बहस पर मनन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गई।

<u>तनकी संख्या:–1</u> आया वादिया विवादित आराजी अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

उपखण्ड अधिकारी
डीग (राज.)

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादिया पर है। वादिया का कथन है कि वादिनी मनफूल की पुत्री है। प्रति0 रामबाबू वादिया के खास ताऊ बसन्ता का नाती है एक ही परिवार के सदस्य है।

सजरा खानदान इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:–

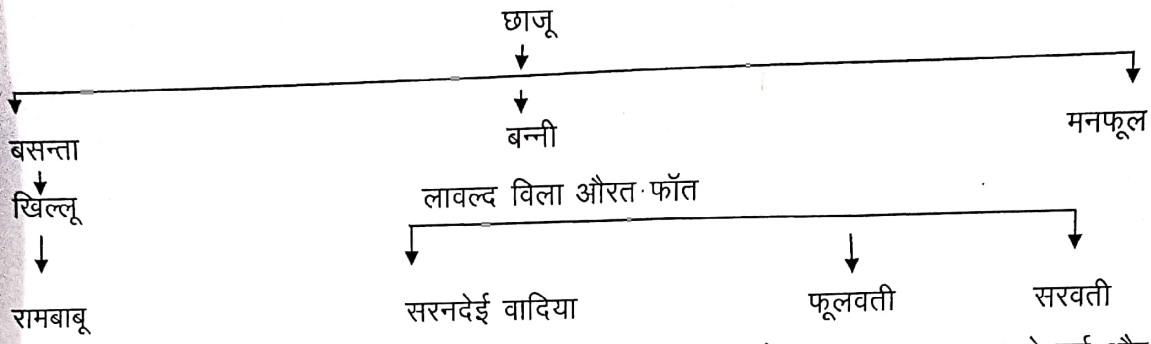

वादिया शादी के पश्चात से ही अपने पिता मनफूल के पास आकर के पास आकर आवाद हो गई और मनफूल की समस्त जायदाद पर वाहैसियत वारिस काबिज हुई। वादिया की अन्य बहनें शादी के पश्चात अपनी अपनी ससुराल में निवास कर रही है। उनका मनफूल पिता वादिया की जायदाद से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। वादिया के पिता मनफूल के एक भाई बन्नी लावल्द विला औरत फॉत हो गया था। जिस समय बन्नी की मृत्यु हुई उससे पूर्व ही प्रति0 रामबाबू के बाबा बसंता की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम बन्नी की समस्त कृषि भूमि पर वादिया के पिता मनफूल के पिता मनफूल के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है। मनफूल की मृत्यु के पश्चात वादिया विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है।प्रति0 रामबाबू का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। गलत तरीके से प्रति0 रामबाबू का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जा रहा है। प्रति0 रामबाबू के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकन को कलमजन कराकर वाहैसियत खातेदार दर्ज करा पाने की अधिकारी है। मौखिक साक्ष्य में PW-1 सरनदेई PW-2 बलवीर PW-3 प्रीतम के साक्ष्य पेश किये गये है। प्रदर्श–1, निर्णय सहायक कलक्टर प्रकरण संख्या 157/96 निर्णय दिनांक 11.03.2002 में रामबाबू वादी है। सरनदेई प्रति0 संख्या 1 है। अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट का दावा है। दावे में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 268 रकबा 0.23 वाके ग्राम श्यौपुरा खसरा नम्बर 610 रकबा 0.27 वाके ग्राम शाहपुर समान भूमि है। जिसमें खसरा नम्बर 610मिनं रकबा 0.18 वाके ग्राम शाहपुर का प्रति0 संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है एवं वादिनी का स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया गया है। नामा0 संख्या 2 ग्राम शाहपुर व नामा0 संख्या 4 ग्राम श्यापुरा को प्रभाव शून्य करार दिया गया है। नामा0 संख्या 4 शाहपुर में दिनांक 22.06.1985 में बन्नी की आराजी को मनफूल के नाम तस्दीक किया गया है। दाखिला खारिज संख्या 2 बन्दोवस्त में बन्नी का नाम नहीं आने पर मृतक बन्नी के 1/2 हिस्से को तस्दीक करा लिया था। प्रदर्श–2 मु0 नम्बर 157/96 की डिक्री में नामा0 संख्या 2 ग्राम शाहपुर नामा0 संख्या 4 श्यौपुरा का प्रभाव शून्य घोषित किया गया है। प्रदर्श–3 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.01.1972 जिसमें बन्नी ने श्यौपुरा व शाहपुर की आराजी का विक्रय खिल्लू वल्द बसंता जोकि प्रति0 संख्या 1 का पिता है को किया है। प्रदर्श–4 में हाल खसरा नम्बर

खण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

268 व प्रदर्श–5 में हाल खसरा नम्बर 610 प्रति0 संख्या 1 के नाम है। प्रदर्श–1,2,3,4,5 वादिया विरूद्व प्रति0 के पक्ष में है। वादिया अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के लिए साक्ष्य का अभाव है। राजस्व रिकार्ड के लिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1,2,3,4,5 प्रति0 के पक्ष में है। अतः तनकी संख्या 01 विरूद्व वादिया प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–2, आया वादिया विवादित आराजी बावत प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है?

तनकी संख्या 01 विरूद्व वादिया प्रति0 के पक्ष में निर्णीत की गई है। वादिया का स्वत्व घोषणा का दावा तनकी संख्या 1 में असफल रहा है और प्रति0 पूर्व से ही खातेदार काश्तकार है। तनकी संख्या 2 भी विरूद्व वादिया प्रति0 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–3, आया वादिया का दावा आराजी खसरा नम्बर 268/0.23 बावत है ना कि खसरा नम्बर 464 श्यौपुरा, 566/0.55 व 610/0.19 के शाहपुर बावत है। वादिया के वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर 268/0.23 वाके ग्राम श्यौपुरा खसरा नम्बर 610 रकबा 0.18 वाके ग्राम शाहपुर के सम्बन्ध में वादिया ने बन्नी की विरासत उसके पिता मनफूल को प्राप्त होना बताते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की दादरसी चाही है। तनकी संख्या 3 विरूद्व वादिया प्रति0 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–4, आया वादिया का दावा जा.दी. की धारा 11 प्रावधानों से वाधित है?

जा.दी. की धारा 11 रेस–ज्यूडिकेटा के सिद्वांत से जुडी है। इस सिद्वांत के मुताविक अगर कोई मामला पहले ही किसी सक्षम न्यायालय में अन्तिम रूप से सुलझ चुका है तो उसी मामले पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस धारा के तहत कोई भी न्यायालय ऐसे किसी वाद या मुद्वे पर सुनवाई नहीं करेगा जिसमें मामला पहले ही उसी पक्षकारों के बीच सुलझ चुका है। रेस–ज्यूडिकेटा सिद्वांत का मकसद एक ही बिषय पर कई बार फैसले ना आने से बचना है। यह सिद्वांत वादी का एक चोट के लिए दो बार हर्जाना पाने से रोकता है। वाद में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 157/96 निर्णय दिनांक 11.03.2002प्रति0 रामबाबू के पक्ष में निर्णीत किया जा चुका था। उसी आराजी के सम्बन्ध में वर्तमान प्रकरण संख्या 194/15 विचाराधीन होने से रेस–ज्यूडिकेटा का सिद्वांत लागू होता है। वादिया का दावा धारा 11 जा.दी. के प्रावधानों से वाधित होने के कारण तनकी संख्या 04 विरूद्व वादिया प्रति0 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–5, तनकी संख्या 1,2,3,4 विरूद्व वादिया प्रति0 के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। उभय पक्ष ने दादरसी चाही है। न्याय का संतुलन प्रति0 के पक्ष में होने के कारण वादिया पर 5000 रूपये वादपत्र का खर्चा प्रति0 को दिये जाने का अनुतोष दिया जाकर तनकी संख्या 5 विरूद्व वादिया प्रति0के पक्ष में निर्णीत की जाती है। तनकी संख्या 1,2,3,4,5 विरूद्व वादिया प्रति0 के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम मुताविक रिकार्ड दावा वादिया सावित नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है किः–

वादिया का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

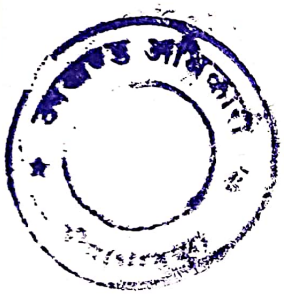

Scanned with OKEN Scanner